न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—जबर सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 63/2018 **दायर दिनांकः 18/05/2018**

उनवान

1. कुलदीप सिंह आयु 29 वर्ष पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. चन्द्रसिंह आयु 48 वर्ष पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 53 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर।

आदेश दिनाक : 31/01/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 53 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल निमोदा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 26 की ख0नं0 2 रकबा 1.90 है0 ख0नं0 5 रकबा 1.64 है0, ख0नं0 6 रकबा 1.11 है0 कुल किता 3 का रकबा 4. 65 है0 आराजी प्रतिवादी कम 1 चन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रसिंह के खाते दर्ज चली आ रही है। इसी प्रकार वाके ग्राम एवं माल खडीला तहसील अटरू की खाता संख्या 33 की ख0नं0 473/301 की 1.46 है0 आराजी खातेदार चन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रसिंह प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। इसी प्रकार वाके ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू की खाता संख्या 87 की ख0नं0 1334 की 1.50 है0 आराजी प्रतिवादी कम 1 चन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रसिंह के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी तीनों खातों की वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य काफी समय से विवाद चला आ रही है और वादी प्रतिवादी सेअलग निवास करता चला आ रहा है। और वादी प्रतिवादी के मध्य आज दिन तक हिस्से व कब्जे को लेकर वाद विवाद उत्पन्न होते रहे है। चूंकि उक्त आराजी पैत्रृक सम्पत्ति है जिस पर वादी का जन्म से हिस्सा व अधिकार निहीत है। परन्तु इसके बाबजूद प्रतिवादी कम 1 ने वादी को अलग कर रखा है। वादी ने इस बाबत् दिनांक 15.01.2018 को प्रतिवादी कम 1 से खाता विभाजन करवाकर आराजी पृथक खाते दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कम 1 ने मना कर दिया और लडाई झगडा करने पर आमादा हुआ व

आराजी को रहन बैचान करने की धमकी दी। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। यदि प्रतिवादी क्रम 1 ने खाते में अपना नाम होने से आराजी को रहन बैचान व खुर्द बुर्द कर दिया तो वादी को अपनी पैत्रृक आराजी में प्राप्त चले आ रहे हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अस्तु वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन करवाकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी 1/2 हिस्सा पृथक खाता दर्ज करवाकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाने के अधिकारी है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान ग्राम खुरी, खडीला, व निमोदा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन करवाया जाकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुदी 1/2 हिस्सा वादी के पृथक से खाते दर्ज किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य एक वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें आज वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझाइस से राजीनामा हो गया है। आज के बाद ग्राम निमोदा की खाता संख्या 26 की 4.65 है0 भूमि कुलदीप सिंह के नाम दर्ज होगी एवं ग्राम खडीला, खुरी की भूमि चन्द्रसिंह के रहेगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा तस्दीक फरमाने की कृपा करें।

उभय पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया गया, वादी की पहचान श्री सुरेश कुमार शर्मा एड0 द्वारा तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एडवोकेट द्वारा की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम निमोदा की खाता संख्या 26 कुल किता 3 रकबा 4.65 है0 व ग्राम खडीला की खाता संख्या 33 किता 1 रकबा 1.46 है0

तथा खुरी की खाता संख्या 87 किता 1 रकबा 1.50 है0 भूमि प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है। जिसमें से प्रतिवादी कम 1 ग्राम निमोदा की खाता संख्या 26 किता 3 रकबा 4.65 है0 वादी कम 1 के नाम दर्ज किये जाने हेतु सहमति दी गई है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम निमोदा की खाता संख्या 26 कुल किता 3 रकबा 4.65 है0 में वादी कुलदीप सिंह को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा रहन का नोट AXIS बैंक खाते में दर्ज किया जावें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री जबर सिंह (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 63/2018

उनवान

1. कुलदीप सिंह आयु 29 वर्ष पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. चन्द्रसिंह आयु 48 वर्ष पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 53 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम निमोदा की खाता संख्या 26 कुल किता 3 रकबा 4.65 है0 में वादी कुलदीप सिंह को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा रहन का नोट AXIS बैंक खाते में दर्ज किया जावें।

(जबर सिंह)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 31.01.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)